पुनरिक्षण याचिका क.   /2018
प्रस्तुत दिनांक   /01/2018

(67)

न्यायालयल श्रीनान राजस्व मण्डल ग्वालियर   म.प्र.
इन्होंके समक्ष।

आयुक्त कार्यालय इन्दौर द्वारा दिनांक 20/2/18 को प्रस्तुत। 20/2/18

पुनरक्षिण याचिका –प्रार्थी की ओर से धारा– 50 म.भू.रा.सं के तहत।

PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा/2018/1402

जगदीश पिता भागीलाल यादव उम्र 52वर्ष
निवासी ग्राम भिलखेडी तह. बड़वाह,
जिला खरगोन (म.प्र.)   ......पूररिक्षणकर्ता

विरूद्ध

मुकेश पिता ज्ञानुराम यादव उम्र 32 वर्ष
निवासी ग्राम भिलखेडी तह. बड़वाह,
जिला खरगोन (म.प्र.)   ....प्रत्यर्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर श्री ... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 30-01-2018 को प्रस्तुत। 103 30-01-2018 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय

महोदय,

इसमे पूनरिक्षणकर्ता का निवेदन निम्नानुसार है –

01)) यहकि प्रत्यर्थी द्वारा एक आवेदन माननीय तहसीलदार महोदय बड़वाह के समक्ष रास्ते के विवाद के संबंध में प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण कमांक 02/अ–13/15--16 हैं। इस प्रकरण का निकाल दिनांक 31/05/2016 को कर दिया गया था इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़वाह के समक्ष एक अपील कमांक 20/अपील/2017–18 .प्रस्तुत की गई अपील में धारा 52, का आवेदन प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़वाह ने दिनांक 19/12/2017 को स्वीकार कर लिया गया इस मनमाने गैर कायदा

निरंतर....02

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भू.रा./2018/1402

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-11-2018	आवेदक की ओर से श्री हरीश पवार, अभिभाषक एवं अनावेदक पक्ष की ओर से श्री लाखन सोलंकी एवं श्री यतीश लाड़, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 20-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	